पेट्रोल-डीजल की घबराहट में खरीदारी न करें

देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार, घबराएं नहीं, सरकार सतर्क : राजनाथ

नई दिल्ली, 28 मई. केंद्र सरकार ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत की सभी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, मनोहरलाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे. बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभाव को लेकर चर्चा की गई. राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बदलते हालात से निपटने के लिए तैयारियां लगातार मजबूत रखी जाएं. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरक और कृषि सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहनी चाहिए ताकि खाद्य कीमतों पर असर न पड़े. बैठक में बताया गया कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सामान्य है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाल रही हैं.सरकार ने कालाबाजारी और अनावश्यक खरीदारी पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर निगरानी और कार्रवाई तेज कर रही हैं.

नीट पेपर लीक पर हुई बड़ी बैठक

नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को दिल्ली में बड़ी हाईलेवल बैठक हुई. यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों की चिंताओं को दूर करने पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह को भी विशेष रूप से बैठक में बुलाया गया. बैठक का फोकस परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने, गड़बड़ियों को रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए संरचनात्मक बदलावों पर रहा.

टीएमसी में अंदरूनी विवाद

कोलकाता, 28 मई. टीएमसी सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर संसद के भीतर बदसलूकी और गाली-गलौज के गंभीर आरोप लगाए हैं. बारासात से सांसद काकोली ने दावा किया कि कल्याण बनर्जी ने कई बार उन्हें लोकसभा में मौखिक रूप से अपमानित किया और उनका व्यवहार अन्य महिला सांसदों के प्रति भी आपत्तिजनक रहा है. उन्होंने स्पीकर से मामले में कार्रवाई और दंड की मांग की है. हालांकि, कल्याण बनर्जी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि काकोली घोष की मंशा पर उन्हें संदेह है. उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह है कि किसने क्या कहा और कब कहा, लेकिन विवाद को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है.

स्वामी चिन्मयानंद ने विवि के नाम की संपत्ति

550 करोड़ की मुमुक्ष आश्रम की संपत्ति राज्य सरकार को दी दान

शाहजहांपुर, 28 मई. पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं मुमुक्ष आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने बुधवार को लगभग 550 करोड़ रुपये मूल्य की मुमुक्ष आश्रम की संपत्ति स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय के नाम राज्य सरकार को दान कर दी. स्वामी चिन्मयानंद तहसील सदर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मुमुक्ष आश्रम की समस्त भू-संपत्तियां स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित कर दीं. बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होते ही संपत्ति का पंजीकरण विवि के नाम दर्ज हो गया. राज्यपाल की ओर से उच्च शिक्षा विभाग, बरेली के प्रोफेसर सुधीर चौहान ने रजिस्ट्री स्वीकार की.

> स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि शिक्षा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि जब स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी, तब क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहद चिंताजनक था और युवाओं के हाथों में हथियार दिखाई देते थे, लेकिन आज वही युवा शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह संपत्ति सरकार को नहीं बल्कि समाज को समर्पित की जा रही है. विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं को शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे. स्वामी चिन्मयानंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया.

यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट पर मंथन

साइप्रस में कूटनीतिक सक्रियता पर चर्चा

नई दिल्ली , 28 मई. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं कीं. इन चर्चाओं में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया.

एस. जयशंकर ने एंड्री सिबिहा से की मुलाकात

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात की. दोनों के बीच यूक्रेन में चल रहे युद्ध और आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर बात हुई. मीटिंग के बाद एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'साइप्रस में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मेरी एक सार्थक मुलाकात हुई. हमने रूस-यूक्रेन युद्ध और युद्ध के मैदान की स्थिति पर चर्चा की. खासकर यूक्रेन की बढ़ती पहल के बारे में. ' उन्होंने कहा, 'हमारा संदेश साफ है. हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और एक स्थायी और व्यापक शांति चाहते हैं. हमने शांति प्रयासों और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी बात की. जैसे-जैसे यूरोप अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहा है, हम भारत की मजबूत आवाज और योगदान का स्वागत करते हैं.

> एस. जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकात की, जहां दोनों ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर विचार साझा किए. उन्होंने इस बातचीत के बारे में सोशल मीडि?या प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ अच्छी बैठक हुई. पश्चिम एशिया/मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति पर उनके विचार और समझ के लिए मैं आभारी हूं.

नागपुर से दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सीधी उड़ानों की मांग

नागपुर, 28 मई. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की वैश्विक हवाई सेवा को मजबूत करने की नयी कोशिशों के तहत गुरुवार को नागपुर से दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की मांग ने गति पकड़ ली है.

'एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट' ने यह मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नागपुर में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को एक ज्ञापन सौंपा. इसमें यहां से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू करने की मांग की गई है. एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कपिल चंद्रायन ने मंत्री मोहोल को सूचित किया कि नागपुर का डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रनवे मरम्मत का काम सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब चौबीसों घंटे के लिए पूरी तरह से चालू हो गया है. उन्होंने कहा कि नागपुर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए एक बेहद उपयुक्त समय है.

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल आगे बढ़ाएंगे प्रस्ताव

आज का इतिहास

1922 : एक्वाडोर को आजादी मिली.
1968 : दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा किया.
1970 : सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया.
1972 : मशहूर रंगकर्मी और भारतीय सिनेमा के प्रमुख हस्ताक्षर पृथ्वी राजकपूर का निधन.
1987 : भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन.
1988 : पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने सरकार को बर्खास्त कर संसद को भंग किया.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत
में विज्ञापन के माध्यम से

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013,

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(परिशिष्ट IV के अनुसार, सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पढ़ा जाए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी करता हूं।
उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
ऋण लेने वाले व्यक्ति और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि, उस पर लगने वाले ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, नीचे उल्लिखित तिथि से लागू होगा।
ऋण लेने वाले व्यक्ति का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता सं.	दायित्वकर्ता(यों) का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/ कानूनी प्रतिनिधि (यों)	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तारीख
TCHHL0284000100305203, TCHIN0284000100306332	श्री अंकित जाट (ऋणकर्ता) और श्री राहुल जाट (सह-ऋणकर्ता)	रु. 18,11,587/- और रु. 55,729/- 04.03.2026 तक	25.05.2026 (प्रतीकात्मक)

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- प्लॉट संख्या 28, सिमरोल टाउनशिप, तहसील महू, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट (यानी 102.23 वर्ग मीटर) है, जिसकी सीमाएँ पूर्व में सड़क, पश्चिम में प्लॉट संख्या 11, उत्तर में प्लॉट संख्या 27 और दक्षिण में प्लॉट संख्या 29 हैं।

10028616	श्रीमती सुंदर केमा (सह-ऋणकर्ता), स्वर्गीय श्री हरीश केमा (ऋणकर्ता) की माता और कानूनी उत्तराधिकारी।	रु. 15,42,460/- और 12.03.2023 तक	26.05.2026 (प्रतीकात्मक)

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- प्लॉट संख्या 41, वैकुंठ धाम कॉलोनी, ग्राम पांड्याखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन, कुल क्षेत्रफल 88.39 वर्ग मीटर। सीमाएँ: पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट संख्या 107, उत्तर: प्लॉट संख्या 42, दक्षिण: प्लॉट संख्या 40

TCHIN0284000100158806 & TCHHL0284LO000100157913 & TCHIN0284000100238630	श्रीमती सीमा नामदेव (सह-उधारकर्ता) श्रीमती मीरा नामदेव	रु. 71,014/- और रु. 14,51,575/- और रु. 1,39,052/- 10.03.2023 तक	25.05.2026 (प्रतीकात्मक)

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- फ्लैट संख्या 603, छठी मंजिल, रस टाउन, ब्लॉक-जी, ग्राम तलावली चंदा, तहसील एवं जिला इंदौर। निर्मित क्षेत्र 38.51 वर्ग मीटर (कारपेट क्षेत्र 33.91 वर्ग मीटर)। सीमाएँ: पूर्व: कॉरिडोर, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: लिफ्ट, दक्षिण: फ्लैट संख्या 602।

TCHHF0284000100237409 & TCHHL0284000100226883	श्री भरतदास वैष्णव (उधारकर्ता) श्रीमती कांता वैष्णव (सह-उधारकर्ता)	रु. 17,77,122/- और रु. 7,71,228/- 10.03.2023 तक	25.05.2026 (प्रतीकात्मक)

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:- प्रिंस सिटी, ग्राम सुखालिया (खातिपुरा), तह. और जिला इंदौर में स्थित प्लॉट सं.211 का उत्तरी भाग, जिसका क्षेत्र. 800 वर्गफुट यानी 74.34 वर्ग मीटर है। सीमाएँ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट सं.215, उत्तर: प्लॉट सं.210, दक्षिण: उक्त प्लॉट का शेष भाग।

दिनांक:- 29.05.2026
स्थान:- इंदौर
हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098,
सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM24014872 अर्जुन अर्जुन/ निर्मला बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में मकान संख्या 61, क्षेत्रफल 990 वर्ग फुट, पीएचएन 08, वार्ड संख्या 20, ग्राम अनुपपुरा, तहसील मलहारागढ़, जिला मंदसौर-458553, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क उत्तर: महेश, दक्षिण: अशोक	11-नवंबर-25/ रू. 6,40,114/- (छह लाख चालीस एक सौ चौदह मात्र)	25.05.2026
2	UDRNM24015644 करण बंजारा/ कमली बाई बंजारा	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में सर्वे संख्या 61, क्षेत्रफल 6525 वर्ग फुट, ग्राम- थिकरिया, तहसील एवं जिला- नीमच-458441, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व: बनवारी का बाड़ा, पश्चिम: साझा सड़क उत्तर: श्यामलाल की भूमि, दक्षिण: भूरालाल का घर	05-मार्च-26/ रु. 4,54,893/- (चार लाख चौवन हजार आठ सौ तेरानवे मात्र)	25.05.2026
3	UDRNM24018153 गेंदमल बंजारा/ कुशल बाई बंजारा	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में मकान संख्या 5/3, वार्ड संख्या 09, क्षेत्रफल 148.32 वर्ग मीटर, आबादी खसरा संख्या 70, फोन नंबर 39, ग्राम- ठिकरिया, तहसील- नीमच, जिला- 458441, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व: भरमल का घर पश्चिम: लालसिंह का घर उत्तर: भेरूलाल का घर दक्षिण: रास्ता	05-मार्च-26/ रु. 9,22,078/- (नौ लाख बाईस हजार अठहत्तर मात्र)	25.05.2026

दिनांक : 29.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098,
सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM23012712 कुलराज कुलराज/ निर्मला सेन/ निधि गहलोद	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में, आबादी सर्वेक्षण सं. 134, क्षेत्र.1418 वर्गफुट, पीएच नं. 24, ग्राम- आकली, तह.- जवाद, जिला- नीमच-458220, म.प्र. सीमाएँ:- पूर्व: रघुनाथ सिंह का आंगन, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: टिकम सिंह का घर, दक्षिण: शिवराज का घर	05-मार्च-26/- रु. 7,54,958/- (सात लाख चौवन हजार नौ सौ अट्ठावन मात्र)	26-05-2026
2	UDRNM24017508 पप्पू लाल / इंद्रा बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में, जिसका पता है: पीएच नं. 08, आबादी सर्वे सं.143, क्षेत्र.208.17 वर्ग मीटर, ग्राम -मलंखेड़ा, तहसील- जवाद, जिला- नीमच-458220, म.प्र.। सीमाएँ:- पूर्व: साझा सड़क, पश्चिम: प्रभालाल का घर, उत्तर: स्वयं की भूमि/मकान, दक्षिण: बहादुर का घर	05-मार्च-26/- रु. 9,36,382/- (नौ लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयासी मात्र)	26-05-2026
3	UDRNM24016103 तोफान सिंह बंजारा/ संजय बाई	अचल संपत्ति का अधिकार, टुकड़ा एवं अंश, जिसका पता है: खसरा संख्या 307, पीएचएन 08, क्षेत्रफल 1980 वर्ग फुट, ग्राम- मेलनखेड़ा, तहसील- जवाद, जिला- नीमच-458330, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व: सार्वजनिक सड़क, पश्चिम: स्वयं की भूमि, उत्तर: खुली भूमि, दक्षिण: स्वयं की खुली भूमि	05-मार्च-26/- रु. 8,07,666/- (आठ लाख सात हजार छह सौ छियासठ मात्र)	26-05-2026

दिनांक : 29.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड WESTERN CAP
क्षेत्रीय कार्यालय : ऑफिस नं. 203, ओम गुरुदेव प्लाजा, सावित्री एम्पायर, सयाजी होटल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) - 452010.

कब्जा सूचना (नियम 8(1) देखें)
(अचल संपत्ति के लिए)
दिनांक : 14.05.2026

1. श्री ईश्वर सिंह पिता श्री रघु सिंह चौहान (ऋणी)
आवासीय पता:- वार्ड नं. 9, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.)
2. श्रीमती अवंतिका बाई पति श्री ईश्वर सिंह चौहान (सह-ऋणी)
आवासीय पता:- वार्ड नं. 9, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.)
संपत्ति का पता:- 79/1, प.ह.नं. 20, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ने **मैसर्स वेस्टर्न केपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड** (जिसे आगे 'WCAPL' कहा गया है) के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **07.03.2026** को एक मांग सूचना जारी कर आप ऋणी **श्री ईश्वर सिंह पिता श्री रघु सिंह चौहान (ऋणी)** एवं अन्य सह-ऋणी अर्थात् **श्रीमती अवंतिका बाई पति श्री ईश्वर सिंह चौहान** को ऋण खाता क्रमांक **WRLMH-H-JAO0101250806** के लिए उक्त सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 21,62,536/- (इक्कीस लाख बासठ हजार पांच सौ छत्तीस रुपये मात्र)** का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया था।
ऋणी द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक **25 मई 2026** को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रुप से ऋणी और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन WCAPL की नीचे उल्लिखित राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति की अनुसूची

भूमि का वह सम्पूर्ण भाग व अंश: 79/1, प.ह.नं. 20, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.)। **जिसकी चर्तुसीमाएं इस प्रकार हैं:** पूर्व - बाबूलाल का मकान, पश्चिम - आम रास्ता, उत्तर - आम रास्ता, तथा दक्षिण - सुगन बाई का मकान

दिनांक : 25.05.2026
स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
आपका पारिवारिक बैंक संपूर्ण भारत मे.
एआरएमबी - अहमदाबाद : ''दी फर्स्ट'' बी-703, केशवबाग पार्टी प्लाट के पीछे, ऑफ 132 फीट रोड़, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015
फोन : 079-29702793
ई-मेल : ahm.arm@ktkbank.com
वेबसाईट : www.karnatakabank.bank.in
CIN: L85110KA1924PLC001128

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

चूंकि, **कर्नाटक बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **25.02.2026** को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसके द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी(यों)/जमानतदार(रों)/सह-आवेदक(कों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 28,72,876.46 (रुपये अट्ठाईस लाख बहत्तर हजार आठ सौ छिहत्तर एवं छियालीस पैसे मात्र) (अर्थात PSTL खाता सं. 8077001800021901 के संबंध में)** तथा 09.12.2024 से गणना किए जाने वाले ब्याज के साथ भुगतान हेतु कहा गया था।
1) श्रीमती संतोष कुंवर पति भरत सिंह पंवार,
2) श्री भरत सिंह पंवार पिता भंवरसिंह पंवार
दोनों का निवास: मकान नंबर 40, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील घटिया, उज्जैन - 456 550
ऋणी(यों)/जमानतदार(रों)/सह-आवेदक(कों) के राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा उक्त व्यक्तियों एवं आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **25 मई 2026** को नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।
विशेष रुप से ऋणी(यों)/जमानतदार(रों)/सह-आवेदक(कों) और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित अनुसूची में दर्ज बंधक संपत्ति का कोई लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि के लिए **कर्नाटक बैंक लिमिटेड, उज्जैन शाखा** के प्रभार (चार्ज) के अधीन होगा:

प्रकृति एवं खाता क्रं.	बकाया राशि (आज की तारिख तक)	ब्याज गणना की तारिख	ब्याज निम्न तारीख से जोड़ा जाएगा
PSTL A/c No. 8077001800021901	Rs.28,72,837.46/-	31.05.2025	01.06.2025
कुल	Rs.28,72,837.46/-		

ऋणी(यों)/जमानतदार(रों)/सह-आवेदक(कों)का ध्यान प्रतिभूत संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अनुसूची : अचल संपत्ति का विवरण
वाणिज्यिक संपत्ति का वह संपूर्ण भाग एवं हिस्सा अर्थात् भूमि सर्वे नंबर 60 एवं सर्वे नंबर 61 के भाग वाली गोदाम की भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 9000 वर्ग मीटर है (44.98 वर्ग मीटर सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत एवं 8955.02